सार समाचार

गैस की बढ़ी कीमतें वापस ले सरकार : कांग्रेस

नई दिल्ली, वार्ता। कांग्रेस ने रसोई गैस की कीमत बढ़ाने को अनुचित बताते हुए इसे देश की जनता पर गहरा आघात बताया और कहा कि पहले से मंहगाई की मार झेल रहे लोगों को राहत देने के लिए सरकार को तत्काल बढी दरें वापस लेनी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में रसोई गैस का सिलेंडर 155 रुपए महंगा हो चुका है और मोदी सरकार ने जनता के खर्च के बजट पर करंट लगा दिया है। रसोई गैस की इस बढोतरी से सरकार ने जनता की जेब से 43572 करोड़ रुपए निकाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और रसाई गैस-एलपीजी सिलेंडर के दाम गिर रहे हैं। तेल की कीमत में गिरावट है लेकिन मोदी सरकार एलपीजी की दर बढाकर देश की जनता पर बोझ लाद रही है और जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है।

इससे पहले श्री केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था मोदी जी ने रसोई गैस की क़ीमत 144 रुपए बढ़ाई है। उसने 2019 से 2020 यानी एक साल में रसोई गैस की क़ीमत 200 रुपए बढ़ा दी। दिल्ली में एक सिलेंडर 858.50 रुपए, मुम्बई में 829.50 रुपए, चेन्नई में 881 रुपए तथा कोलकाता में 896 रुपए की दर से बिक रहा है। करंट की बात करते करते जनता की जेब पर ही करंट मार दिया।

कोरोना के खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही सरकार : राहुल

नई दिल्ली, भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए बुधवार को दावा किया कि सरकार इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही है। गांधी ने ट्वीट किया, ''कोरोना वायरस हमारे लोगों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है। मेरे हिसाब से सरकार इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही है।'' उन्होंने कहा, ''समय पर कदम उठाने की जरूरत है।'' गौरतलब है कि केरल में कोरोना वायरस के तीन मामलों की पुष्टि हुई है।

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह में कमी की वजह से हो रही राज्यों को भुगतान में देरी

नई दिल्ली ■ भाषा/डेस्क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से पर्याप्त संग्रह नहीं होने के कारण राज्यों को भुगतान में देरी हो रही है। इसमें केन्द्र अपनी तरफ राज्यों क साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर रहा।

मंत्री ने कहा कि सरकार जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) कानून, 2017 के प्रावधानों के तहत राज्यों को भुगतान करने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को पेश किये जाने के मौके पर यह सहमति बनी थी कि केंद्र जीएसटी संग्रह में कमी होने पर निर्धारित फार्मूले के तहत राज्यों को राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा।

उन्होंने कहा, ''अभी राज्यों को 14 प्रतिशत क्षतिपूर्ति देने में देरी हो रही है... हम इसे समय पर नहीं दे पा रहे हैं।'' सीतारमण ने कहा कि देरी

का कारण क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह इतना पर्याप्त नहीं हो रहा है जिससे 14 प्रतिशत वृद्धि की भरपाई की जा सके। राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को लेकर प्रतिबद्धता कानून के अनुसार है।

टाइम्स नाऊ शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा, ''यहां कोई बदलाव नहीं हो सकता है। वित्त आयोग ने फार्मूला दिया है और जीएसटी कानून ने फार्मूला दिया है ... ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फलाने राज्य को पसंद नहीं करती, इसीलिए मैं उस राज्य को हिस्सा नहीं दूंगी... लेकिन अगर राजस्व संग्रह कम रहता है, निश्चित रूप से राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी कम होगी।''

यह पूछे जाने पर क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि अर्थव्यवस्था में नरमी है, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इससे इनकार नहीं करती और जरूरत के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों की चिंताओं के समाधान के लिये काम किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर आलोचना होती है कि सरकार सुस्ती की बात स्वीकार नहीं करती। वह इस बारे में कुछ नहीं कहती है कि अर्थव्यवस्था चक्रीय या संरचनात्मक नरमी है अथवा मुद्रास्फीति जनित सुस्ती में फंसी है।

वित्त मंत्री ने कहा, ''हर कोई चाहता है कि जिस तरीके से वह चाहता है, मैं कुछ कहूं और अगर मैं नहीं कहती तो यह कहा जाता है कि सरकार इनकार कर रही है।'' उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में सुधार के संकेत हैं। माल एवं सेवा कर संग्रह पिछले तीन महीनों से लगातार बढ़ रहा है। सीतारमण ने कहा कि नवंबर के बाद से जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है और पिछले तीन महीनों से एक लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया है। यह बताता है कि राजस्व संग्रह में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आ गयी हैं। अप्रैल-नवंबर के दौरान पूंजी व्यय 22 प्रतिशत बढ़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि खपत बढ़ाने के लिये सरकार ने पीएम-किसान, मनरेगा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आबंटन बढ़ाया है। उन्होंने आरबीआई के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में ढील देने के फैसले पर खुशी जतायी और कहा कि इससे बैंक आवास, वाहन और एमएसएमई (सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम) क्षेत्रों को अधिक कर्ज देने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि खपत में नरमी को लेकर चिंता पर गौर किया गया है और सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कदम उठा रही है।

नाबालिग को जेल में या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता

नई दिल्ली ■ भाषा/डेस्क

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी नाबालिग को जेल में या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने साफ किया कि किशोर न्याय बोर्ड "मूकदर्शक" बनकर नहीं रह सकता है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि देश में सभी किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की "अक्षरशः भावना" का पालन करना ही चाहिए और बच्चों के संरक्षण के लिए बने कानून की "उपेक्षा किसी के द्वारा नहीं" की जा सकती, कम से कम पुलिस के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने यह बात तब कही, जब उनका ध्यान दो घटनाओं और मीडिया में आए उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली से संबंधित कुछ आरोपों की ओर दिलाया गया, जो बच्चों को कथित रूप से पुलिस हिरासत में हिरासत में रखकर "प्रताड़ित" करने से संबंधित थे। पीठ ने कहा, "धारा (अधिनियम की) के प्रावधानों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कथित रूप से कानून के साथ छेड़छाड़ करने वाले किसी बच्चे को पुलिस हिरासत में या जेल में नहीं रखा जाएगा। एक बच्चे को जैसे ही जेजेबी के सामने पेश किया जाएगा, उसे जमानत देने का नियम है।"

न्यायालय ने अपने 10 फरवरी के आदेश में कहा, "अगर जमानत नहीं दी जाती है, तो भी बच्चे को जेल या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता और उसे निरीक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा।" पीठ ने आगे कहा, सभी जेजेबी को कानून के प्रावधानों की भावना का अक्षरशः पालन करना चाहिए।

राज्यसभा में 96 प्रतिशत काम

नई दिल्ली ■ भाषा/डेस्क

संसद के बजट सत्र के पहले चरण में नौ कार्यदिवस पर राज्यसभा में 96 प्रतिशत कामकाज हुआ। राज्यसभा सचिवालय की ओर से बुधवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी को शुरु हुये बजट सत्र के पहले चरण में 41 घंटे के निर्धारित समय में 96 प्रतिशत कामकाज पूरा हो गया। इस सत्र का पहला चरण 11 फरवरी को समाप्त हुआ।

इस सत्र में कुल 38 घंटे 30 मिनट काम हुआ। इस दौरान सदन की कार्यवाही में व्यवधान के कारण पांच घंटे 32 मिनट कामकाज नहीं हो सका, जबकि सदन में लगभग चार घंटे तक अतिरिक्त कामकाज हुआ। बजट सत्र के इस चरण में पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और इसके अगले दिन बजट दस्तावेज सदन पटल पर पेश किये गये।

इस बीच राष्ट्रपति अभिभाषण पर उच्च सदन में पेश धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा लोकसभा में पेश किये गये बजट पर चर्चा की गयी। बजट सत्र में सत्तापक्ष की ओर से वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किये जाने से पहले 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा भी सदन पटल पर पेश की गयी। सदन की कार्यवाही के बारे में सचिवालय द्वारा जारी विवरण के अनुसार पहले चरण में उच्च सदन के 155 (69 प्रतिशत) सदस्यों ने शून्य काल सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा के दौरान अपने विचार सदन में रखे।

निर्भया मामले में नये 'डेथ वारंट' जारी करने की मांग

नई दिल्ली ■ वार्ता

दिल्ली की एक अदालत में निर्भया कांड को दोषियों के लिए नये 'डेथ वारंट' जारी करने के संबंध में दायर की गयी याचिका पर सुनवाई हुई।

अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा की अदालत में यह याचिका निर्भया के परिजनों ने दायर की है। न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में उनके पास कानून के अनुसार कार्य करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इस मामले की कल फिर सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि दोषी जान-बूझकर फांसी की प्रक्रिया को लटकाये रखना चाहते हैं।

निर्भया के परिजनों ने दोषियों की फांसी के लिए नये 'डेथ वारंट' जारी करने की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले सभी प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी करने के आदेश दिये थे जिसकी अवधि आज समाप्त हो गयी। निर्भया के परिजनों के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पांच फरवरी को आदेश दिया था जिसमें दोषियों को सभी कानूनी प्रक्रियाएं पांच फरवरी तक पूरी करने को कहा गया था।

इनमें से एक दोषी विनय शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति की ओर से उसकी दया याचिका खारिज कर दी गयी है जिसे उसने चुनौती दी है और उस पर सुनवाई में कुछ समय लगेगा।

निर्भया मामले के एक अन्य आरोपी पवन गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि उसने अपने वकील को पहले ही हटा दिया था और उसने अभी तक क्यूरेटिव और दया याचिका दायर नहीं की है। वकील का चयन करना एक लंबी प्रक्रिया है। इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में पवन को कानूनी सहायता मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया।

उल्लेखनीय है कि पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस मामले के चारों दोषियों विनय शर्मा, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय सिंह को पहले 22 जनवरी को और फिर एक फरवरी को फांसी देने का आदेश दिया था, लेकिन एक दोषी के खिलाफ विभिन्न तरह की याचिकाएं दायर करने के कारण अभी तक दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकी है।

विनय की याचिका पर आज सुनवाई

नई दिल्ली, वार्ता। उच्चतम न्यायालय देश को दहला देने वाले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के गुनाहगार विनय शर्मा की राष्ट्रपति द्वारा खारिज दया याचिका को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस बोपन्ना की पीठ गुरुवार को सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई करेगी। विनय ने राष्ट्रपति के फैसले की समीक्षा का न्यायालय से अनुरोध किया है। विनय ने अपनी याचिका में कहा है कि उसकी दया याचिका राष्ट्रपति ने जल्दबाजी में खारिज की है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक फरवरी को विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर दी। राजधानी के दक्षिण दिल्ली में निर्भया के साथ 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, और उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। बाद में उसे सिंगापुर के महारानी एलिजाबेथ अस्पताल एयरलिफ्ट करके ले जाया गया था। वहां उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक नाबालिग था, जिसे तीन साल के लिए सुधार गृह भेजा गया था।

सियासी धमाल

अमेरिकी राष्ट्रपति का यादगार स्वागत होगा

नई दिल्ली ■ भाषा/डेस्क

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह बेहद खुश है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पत्नी इस महीने भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और यहां उनका भव्य एवं यादगार स्वागत किया जायेगा। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पत्नी के 24-25 फरवरी को भारत यात्रा पर आने को लेकर बहुत खुश हूं, हमारे माननीय अतिथियों का यादगार स्वागत किया जाएगा। मोदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा विशेष है तथा यह भारत-अमेरिका मैत्री को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम होगा। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका के मजबूत संबंध न केवल हमारे नागरिकों के लिये बल्कि पूरे विश्व के लिये बेहतर होंगे। मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका लोकतंत्र और बहुलतावाद के प्रति साझी प्रतिबद्धता रखते हैं और दोनों देश व्यापक मुद्दों पर करीबी सहयोग कर रहे हैं।

अहमदाबाद में 'हाउडी मोदी' जैसा कार्यक्रम

अहमदाबाद, भाषा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद में भव्य रोडशो में शामिल होंगे और साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहां नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी करेंगे। उन्होंने बताया कि वे 24 फरवरी को अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि मोदी के गृह राज्य गुजरात की यात्रा के दौरान ट्रंप विशाल रोडशो में हिस्सा लेंगे। इस रोडशो के लिए अहमदाबाद हवाईअड्डे से साबरमती आश्रम तक 10 किलोमीटर तक के मार्ग को सजाया गया है।

एनआरसी का डेटा सुरक्षित : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, भाषा। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि असम में एनआरसी का डेटा सुरक्षित है हालांकि कुछ तकनीकी मुद्दे देखे गए और उन्हें जल्द ही हल कर लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण उन खबरों के मद्देनजर आया है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी की अंतिम सूची का डेटा उसकी आधिकारिक वेबसाइट से ऑफलाइन हो गया है।

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ''एनआरसी डेटा सुरक्षित है। क्लाउड पर कुछ तकनीकी मुद्दे देखे गए। इन्हें जल्द ही हल किया जा रहा है।''

कुछ दिनों के लिए डेटा उपलब्ध नहीं था और इससे जनता, खासतौर से उन लोगों में भय व्याप्त हो गया जिन्हें सूची से बाहर रखा गया है क्योंकि उन्हें सूची से बाहर किए जाने का प्रमाणपत्र अभी जारी नहीं किया गया है।

एनआरसी के राज्य संयोजक हितेश देव शर्मा ने माना कि डेटा ऑफलाइन हो गया है लेकिन उन्होंने इसके पीछे किसी तरह की ''दुर्भावना'' के आरोप को खारिज किया।

एसएपीबी में राइफल, कारतूस गायब मिले: कैग

तिरुवनंतपुरम, भाषा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने यहां विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन (एसएपीबी) में 5.56 एमएम की इंसास राइफलों और 12,061 कारतूसों के गायब होने का चौंकाने वाला खुलासा किया है। यह भंडाफोड़ एक संयुक्त जांच-पड़ताल में हुआ। कैग की यह रिपोर्ट 31 मार्च 2018 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए सामान्य और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है और यह बुधवार को केरल विधानसभा में पेश की गयी। कैग की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि एनलॉग संचार प्रणाली पर पुलिस की निर्भरता के चलते पलक्कड़, मलप्पुरम, इडुक्की और वायनाड में माओवादी रोधी अभियानों को झटका लगा। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार स्पेक्ट्रम शुल्क का समय पर भुगतान करने और डिजिटल मोबाइल रेडियो की खरीद के लिए केंद्र सरकार से लाइसेंस लेने में ''विफल'' रही। लेखा परीक्षण में पाया गया कि एसएपीबी में भंडार रजिस्टर और हथियार तथा गोला-बारूद से संबंधित रिकॉर्ड को ''उचित रूप से नहीं रखा गया।''

टायटन बायोटेक लिमिटेड

CIN L74999RJ1992PLC013387

पंजी. कार्यालय: ए-902ए, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-111, भिवाड़ी, राजस्थान-301019

फोन: 011-71239900 | फैक्स: +91-11-47619811 | ई-मेल: hrd@titanbiotechltd.com | वेबसाईट: www.titanbiotechltd.com

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैन्डलोन वित्तीय परिणामों का विवरण

(रू लाखों में) ईपीएस को छोडकर

क्र सं	विवरण	कंसोलिडेटेड					
		समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही		समाप्त वार्षिक
		31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अकेक्षित
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	1,886.49	1,855.71	1,503.78	5,962.73	4,808.15	6,559.45
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर, असाधारण और असाधारण वस्तुओं से पहले)	225.61	165.06	137.81	750.51	444.97	554.41
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और असाधारण वस्तुओं के बाद)	251.62	200.46	137.81	811.92	444.97	554.41
4	टैक्स के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और असाधारण वस्तुओं के बाद)	181.56	147.49	99.67	588.78	322.97	391.23
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ) (नुकसान) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (टैक्स के बाद) (नोट 3 देखें)	317.65	317.65	99.67	588.78	317.65	401.01
6	पेड-अप इक्वटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- प्रति शेयर)	826.37	826.37	826.37	826.37	826.37	826.37
7	बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन भंडार को छोड़कर अन्य इक्विटी	-	-	-	-	-	2,391.26
8	प्रति शेयर आय (रू. 10/- प्रत्येक) (ए) बेसिक (बी) डायल्यूटिड	2.13 2.13	1.72 1.72	1.10 1.10	6.22 6.22	3.46 3.46	4.26 4.26

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनंकेक्षित कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों का विवरण

(रू लाखों में) ईपीएस को छोडकर

क्र. सं.	विवरण	स्टैन्डलोन					
		समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही		समाप्त वार्षिक
		31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अकेक्षित
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	1,822.27	1,589.38	1,359.27	5,167.03	4,329.01	5,889.18
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर, असाधारण और असाधारण वस्तुओं से पहले)	209.51	150.17	112.93	530.01	339.36	435.58
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और असाधारण वस्तुओं के बाद)	235.52	185.57	112.93	591.42	339.36	435.58
4	टैक्स के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और असाधारण वस्तुओं के बाद)	169.99	133.96	81.23	426.89	244.82	308.04
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ) (नुकसान) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (टैक्स के बाद) (नोट 3 देखें)	169.99	133.96	81.23	426.89	244.82	317.65
6	पेड-अप इक्वटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- प्रति शेयर)	826.37	826.37	826.37	826.37	826.37	826.37
7	बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन भंडार को छोड़कर अन्य इक्विटी	-	-	-	-	-	2,339.54
8	प्रति शेयर आय (रू. 10/- प्रत्येक) (ए) बेसिक (बी) डायल्यूटिड	2.06 2.06	1.62 1.62	0.98 0.98	5.17 5.17	2.96 2.96	3.73 3.73

नोट्स:

1. उपरोक्त 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त हुए तिमाही और नौमाही के लिए स्टैंडलोन और कंसोलिडेटेड अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम के विस्तृत स्वरूप का एक अर्क है। सेबी (नियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की बीएसई लिमिटेड के तहत विनियमन 33 के तहत दायर की गई। बीएसई की वेबसाइट पर 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त हुए तिमाही और नौमाही के स्टैंडलोन और कंसोलिडेटेड अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का प्रारूप www.bseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट www.titanbiotechltd.com पर भी उपलब्ध है।
2. 31.12.2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए उपरोक्त ऑडिट किए गए स्टैंडलोन और कंसोलिडेटेड अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 12 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में रिकॉर्ड पर लिया गया है। वैधानिक लेखा परीक्षक ने वित्तीय वक्तव्यों का लेखा परीक्षण किया है और एक अयोग्य ऑडिट राय वयक्त की है।
3. स्टैंडलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियमावाली 2015 (संशोधित) में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंडस्ट्रीज़ एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं (आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांत)

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
कृते टायटन बायोटेक लिमिटेड

हस्ता/-
नरेश कुमार सिंगला
प्रबंध निदेशक
डीआईएन -00027448

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 12.02.2020

तीन साधारण बीमा कंपनियों में 2,500 करोड़ के निवेश को मंजूरी

नई दिल्ली ■ भाषा/डेस्क

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों में 2,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

ये तीन साधारण बीमा कंपनियां ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. (ओआईसीएल), नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. (एनआईसीएल) और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. (यूआईआईसीएल) हैं।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने इन तीनों साधारण बीमा कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति और नियामकीय भुगतान क्षमता के उल्लंघन को देखते हुए तत्काल 2,500 करोड़ रुपये डालने को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि तीनों साधारण बीमा कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति और नियामकीय कर्ज भुगतान क्षमता जरूरत को देखते हुए तत्काल 2,500 करोड़ रुपये डालने को मंजूरी दी गयी है।

इन तीनों कंपनियों के मार्च 2020 के अंत तक विलय के प्रस्ताव से पहले पूंजी डालने का

फैसला किया गया है।

इससे पहले, जनवरी में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के विलय का काम काफी आगे बढ़ चुका है और यह कभी भी हो सकता है। मामला अभी मंत्रिमंडल में लंबित है। वित्त वर्ष 2018-19 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरूण जेटली ने तीनों कंपनियों के एकल बीमा कंपनी में विलय की घोषणा की थी।

हालांकि, इन तीनों कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति समेत विभिन्न कारणों से विलय प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

'विवाद से विश्वास' विधेयक का दायरा बढ़ाने को मंजूरी

नई दिल्ली, भाषा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020' में बदलाव करने को मंजूरी दे दी। इस बदलाव का उद्देश्य विधेयक का दायरा बढ़ाकर उन मुकदमों को शामिल करना है जो विभिन्न कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) में लंबित हैं।

प्रत्यक्ष कर से जुड़े कानूनी विवादों में कमी लाने के इरादे से यह विधेयक इस महीने की शुरूआत में लोकसभा में पेश किया गया। इसमें आयुक्त (अपील) स्तर पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (आईटीएटी), उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित कर विवादों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

मंत्रिमंडल की बैठक में किये गये फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डीआरटी में लंबित मामलों को भी अब इसमें शामिल करने का निर्णय किया गया है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न प्राधिकरणों और न्यायालयों में 9 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर मामले लंबित हैं।

मंत्री ने उम्मीद जतायी कि लोग योजना का लाभ उठाएंगे और 31 मार्च 2020 से पहले कर विवाद का समाधान करेंगे। ऐसा नहीं होने पर उन्हें अगले वित्त वर्ष में विवादों के निपटान के लिये 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों में 2,500 करोड़ रुपये की पूंजी डाले जाने को भी मंजूरी दी गयी।

वैधानिक सूचना

नया इंडिया के संपादन में हमारी हर संभव कोशिश है कि कोई गलती नहीं हो। हमारी कोशिश है कि अखबार में छपी किसी खबर, रिपोर्ट, फीचर या लेख से किसी व्यक्ति विशेष, समूह, संगठन या समुदाय की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। नया इंडिया में प्रकाशित लेख, विश्लेषण और ब्लॉग से साभार ली गई सामग्री के विचार संबंधित लेखकों और रचनाकारों के निज व स्वतंत्र विचार हैं न कि अखबार के। समाचार, फीचर, लेख के माध्यम से घटनाक्रम और विचारों की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का हमारा प्रयास है। पाठकों से आग्रह है कि प्रकाशन में दी गई जानकारियों, सूचनाओं, विज्ञापनों को वतौर संदर्भ लें, उसे सत्यापित तथ्य नहीं समझें। प्रकाशित समाचार या रिपोर्ट के आधार पर पाठकों के निवेश या किसी भी कारोबारी और निज निर्णय के लिए नया इंडिया जिम्मेवार नहीं होगा। उसके लिए लेखक, संपादक, प्रकाशक, प्रिंटर या विक्रेता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। समाचार पत्र छपने वाले विज्ञापनों (डिस्प्ले/ क्लासीफाइड) के तथ्यों को भी सत्यापित नहीं करता है। पाठकों से आग्रह है कि वे किसी सूचना, समाचार, विज्ञापनों आदि के आधार पर कोई फैसला करने से पहले तथ्यों की खुद पुष्टि करें।